UPBJ010050912026

न्यायालय– विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. (पी.ए.) एक्ट बिजनौर।
पीठासीन अधिकारी–(सुनील कुमार सिंह III),(उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP06076

फौजदारी प्रकीर्ण वाद सं0–215/2026

श्रीमति शिवानी पत्नी विजेन्द्र आयु करीब 26 वर्ष, निवासी ग्राम चमरौला थाना नगीना देहात, जिला बिजनौर। .....**आवेदिका**

बनाम

1– बोबी उर्फ रणवीर पुत्र खुशीराम
2– दीपक पुत्र कृपाल
3– कृपाल पुत्र घसीटा
4– खुशीराम पुत्र मुकन्दी
समस्त निवासीगण ग्राम चमरौला, थाना नगीना देहात, जिला बिनजौर।

.....**विपक्षीगण**

अन्तर्गत धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0
थाना नगीना देहात, जिला बिजनौर।
प्रार्थना पत्र कागज सं0– 3–क
शपथ पत्र कागज सं0– 4–ख

दिनांक: 04–07–2026

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी0एन0एस0एस0

1– यह आवेदन आवेदिका श्रीमति शिवानी के द्वारा विपक्षीगण बोबी, दीपक, कृपाल एवं खुशीराम के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराने एवं विवेचना कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

संक्षिप्त कथन

2– आवेदिका का अपने आवेदन में संक्षेप में कथन है कि वह अनुसूचित जाति की है और विपक्षीगण अनुसूचित जाति के नहीं हैं। उसने 03 वर्ष पूर्व विजेन्द्र से हिन्दू रीति के साथ विवाह किया था। विजेन्द्र पिछडी जाति (सैनी समुदाय) से है और इस कारण विपक्षीगण उससे रंजिश रखते हैं। दिनांक 03–03–2026 को समय करीब 06:00 बजे शाम को विपक्षीगण ने उसे जातिसूचक गालियां दी और विपक्षीगण बोबी तथा दीपक ने उसके बाल पकडकर उसे थप्पथ मारे तथा उसके नाजुक अंगों को हाथ से पकडते हुए मारा पीटा। विपक्षीगण ने उसके जेठ के साथ भी मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। शोर शराबे पर साक्षीगण कपिल, अमर, सुनील व अन्य व्यक्तियों ने उसे व उसके जेठ को बचाया।

थाने की रिपोर्ट

3– प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने से आख्या आहूत की गयी। थाने की आख्या दिनांकित 20–05–2026 के अनुसार आवेदिका का जेठ अनिल कुमार शराबी व्यक्ति है जो दिल्ली में रहता है तथा जब भी गांव में आता है तो शराब पीकर बिना किसी कारण लोगो के साथ गाली गलौच करता है। दिनांक 03–03–2026 को अनिल कुमार ने होली के त्योहार पर

Digitally signed by SUNIL KUMAR SINGH
Date: 2026.07.04 16:35:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

शराब पीकर विपक्षी खुशीराम की परचून की दुकान पर बिना किसी कारण गालियां दी और जब गाली देने से मना किया तो अनिल ने विपक्षी कृपाल के साथ मारपीट की। उसके उपरान्त आवेदिका एवं विपक्षीगण ने एक दूसरे के विरूद्ध थाने पर शिकायत की, जिसके उपरान्त दोनों पक्षों के विरूद्ध धारा 126/135 बी0एन0एस0एस0 की कार्यवाही की गयी। थाने की आख्या में यह भी अंकित है कि आवेदन के सम्बन्ध में आस पडोस के लोगो से जानकारी की गयी तो उन्होंने बताया कि दिनांक 03–03–2026 को आवेदिका के जेठ अनिल के द्वारा विपक्षी खुशीराम की दुकान पर आकर शराब के नशे में गाली गलौच की गयी थी तथा आवेदिका के साथ न तो कोई कहा सुनी हुई और न ही कोई झगडा हुआ।

4– सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

निष्कर्ष

5– आवेदिका की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निम्न कारणो से तथ्यों में विश्वास उत्पन्न नहीं करता है और आवेदिका का आवेदन निरस्त किये जाने योग्य है।

(1)–आवेदिका के द्वारा अपने व अपने जेठ के साथ मारपीट करने का आरोप विपक्षीगण पर लगाया गया है, परन्तु समर्थन मे कोई मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(2)–आवेदिका के द्वारा घटना दिनांक 03–03–2026 की बतायी गयी है, जबकि यह आवेदन उसने दिनांक 20–05–2026 को योजित किया है जोकि लगभग 77 दिन विलम्ब से है और विलम्ब का कोई समुचित कारण प्रदर्शित नहीं किया है।

(3)–थाने की रिपोर्ट के अनुसार आवेदिका के जेठ पर विपक्षीगण के साथ शराब पीकर मारपीट करने का अभियोग है और थाने की रिपोर्ट से यह प्रत्यक्ष है कि आवेदिका के साथ ऐसी कोई घटना, जैसा आवेदन में अभिकथित है, नहीं हुई है और पुलिस की रिपोर्ट पर विश्वास न किये जाने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है।

6– उपरोक्त कारणों के आधार पर आवेदिका का प्रार्थना पत्र कागज सं0 3–क निरस्त किये जाने योग्य है।

7– तद्नुसार आवेदिका का आवेदन निरस्त किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 04–07–2026

(सुनील कुमार सिंह III)
विशेष न्यायाधीश, एस0सी0,एस0टी0(पी.ए.) एक्ट,
बिजनौर।
J.O. Code-U.P.-6076